न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता
मेड़ता न्याय क्षेत्र, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी	–	**सुनीता आर.जे.एस.**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	–	**393/2022**
सी.आई.एस. संख्या	–	**393/2022**
सीएनआर नं	–	**RJMR020006802022**
एफ. आई. आर. संख्या	–	**74/2022**
आरक्षी केन्द्र	–	**पुलिस थाना,मेड़ता सिटी**

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, मेड़ता **.....अभियोगी**

बनाम

1. जावेद पुत्र रोशन अली, उम्र 25 साल, निवासी कादरी कॉलोनी, मेड़ता सिटी, पीएस मेड़ता सिटी, जिला नागौर।
2. फिरोज पुत्र रोशन अली, उम्र 37 साल,निवासी कादरी कॉलोनी, मेड़ता सिटी, पीएस मेड़ता सिटी, जिला नागौर।
3. राहुल उर्फ बंटी वैष्णव पुत्र जगदीश, उम्र 21 साल, निवासी विष्णु सागर, मेड़ता शहर, पीएस मेड़ता शहर जिला नागौर।
4. मनीष उर्फ मोनु पुत्र धन्नाराम, उम्र 22 साल, निवासी नवल सागर, मेड़ता शहर, पीएस मेड़ता शहर, जिला नागौर।

.....अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341/34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित:–
अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य।
श्री इकबाल पठान, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण।

निर्णय **दिनांक: 21.05.2026**

01– थानाधिकारी पुलिस थाना, मेड़तासिटी की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी दिनांक 29.03.2022 को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323, 341/34 भारतीय दंड संहिता में न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.02.2022 को प्रार्थी श्री मोहम्मद सेफ अली पुत्र महेमद अली ने उपस्थित थाना होकर लिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश की कि दिनांक 24.02.202 को समय करीब 07.25 पीएम पर प्रार्थी दुध बेचने के लिए अपनी मोटरसाईकिल लेकर जा रहा था तभी शिव लाईन राम मंदिर के सामने मुल्जिम जाविद मोयल पुत्र रोशन अली उम्र 26 वर्ष जाति घोसी फिरोज पुत्र रोशन अली कादरी कॉलोनी मेडतासिटी व राहुल उर्फ बंटी पुत्र जगदीश वैष्णव मनीष उर्फ मोनु जाति धानका निवासी मेडतासिटी ने सभी ने उसका रास्ता रोककर उसके आडे फिरकर उसके साथ मारपीट की जाविद के हाथ में धारदार चाकु था, जिसकी उसके बाये हाथ पर जानलेवा वार किया, जिससे उसका हाथ लहुलुहान हो गया। राहुल उर्फ बंटी ने लोहे की राड से उसके सिर पर मारी, जिससे उसका सिर लहुलुहान हो गया। फिरोज ने उसके पर्स से एक हजार रूपये निकाल लिये एवं फिरोज मोनु ने गाली गलोच कर उसके साथ मारपीट की तभी शाहाबुदी गोरी पुत्र निजामुदीन साई निवासी हाफिज साहब की दरगाह के पास मेडतासिटी व पवन कुमार पुत्र मुलाराम जाति खटीक निवासी मेडतासिटी ने बीच बचाल कर उसे छुडाया न ही तो मुलजिमान उसे जान से मार देते.....आदि।

03– उक्त रिपोर्ट पर थानाधिकारी, पुलिस थाना मेड़ता सिटी द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 379/34 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण जावेद, फिरोज, राहुल उर्फ बंटी वैष्णव व मनीष उर्फ मोनु के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341/34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341/34 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04– अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इन्कार किया गया और अन्वीक्षा चाही गई।

05– दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित गवाहान को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया –

–:अभियोजन न्यायालय गवाह सूची:–

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू–1	सहाबुद्दीन	गवाह व मौतबीर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका
पीडब्ल्यू–2	सैफ अली	मुस्तगीस
पीडब्ल्यू–3	डॉ. ललित चौधरी	मजरूब की आई.आर. देना
पीडब्ल्यू–4	रमेशचंद	मौतबीर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका
पीडब्ल्यू–5	पवन	गवाह
पीडब्ल्यू–6	इन्द्रसिंह	हालात तफ्तीशी

तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाए–

–:अभियोजन/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	नक्शा मौका व हालात मौका	प्रदर्श पी–1
2	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–2
3	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श पी–3
4	चोट प्रतिवेदन मुस्तगीस	प्रदर्श पी–4
5	आई.आर. बाबत पत्र	प्रदर्श पी–5
6	इस्तगासा	प्रदर्श पी–6

06– तत्पश्चात् अभियुक्तगण का परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत किया गया तो अभियुक्तगण ने कथन किया कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है तथा साक्ष्य सफाई में सारणीनुसार दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं–

–:बचाव प्रदर्श सूची:–

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी मोहम्मद सेफ अली	प्रदर्श डी–1

07– बहस अन्तिम सुनी गई।

08– इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

''क्या, अभियुक्तगण ने दिनांक 24.02.2022 को लगभग 7.25 पी.एम. पर स्थान सिविल लाईन, राम मंदिर के सामने मेड़ता सिटी में सह–अभियुक्तगणों के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय की पूर्ति में, परिवादी को रास्ते जाते रोककर उनका सदोष अवरोध किया तथा स्वेच्छया कुंदाला से मारपीट कर उन्हें साधारण एवं गंभीर चोटें कारित की? यदि हॉं तो अभियुक्तगण किस प्रकार के समुचित दण्ड से दण्डनीय है”?

09– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि मजरूब सैफ अली के कथन सुसंगत, स्पष्ट एवं विश्वसनीय है, जिसमें उसने अभियुक्तगण द्वारा मारपीट, चाकू व रॉड से वार तथा रुपये छीनने की घटना का स्पष्ट वर्णन किया है। उसके कथन का समर्थन सहाबुद्दीन व पवन जैसे गवाहों ने किया है, जिन्होंने बीच–बचाव करना स्वीकार किया। चिकित्सकीय साक्ष्य चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4 से भी चोटें आना सिद्ध है, जिससे मारपीट की पुष्टि होती है। अतः अभियुक्तगण का अपराध संदेह से परे सिद्ध होकर उन्हें दोषसिद्ध किया जाना उचित है।

10– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियोजन का मामला संदेहास्पद है, क्योंकि मजरूब के कथनों में विरोधाभास हैं तथा अभियुक्तों की पहचान भी स्पष्ट नहीं है। स्वतंत्र गवाहों के बयान विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि गवाह पवन ने स्वयं अभियुक्तों को न पहचानना स्वीकार किया तथा अन्य गवाह मजरूब के मिलने वाले/हितबद्ध गवाह हैं। चिकित्सकीय साक्ष्य में धारदार हथियार से चोट का समर्थन नहीं है और चोटें साधारण व गिरने से भी संभव बताई गई हैं। अनुसंधान में गंभीर कमियां हैं। अतः अभियोजन आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा, जिससे अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना चाहिए।

11– बहस उभयपक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के प्रमाणीकरण हेतु 06 गवाहान को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है, जिनकी साक्ष्य का विवेचन निम्नप्रकार है:-

12– साक्षी पीडब्ल्यू–1 सहाबुद्दीन, जिसने शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 24.02.2022 की घटना है। शाम को करीब 7 बजे की घटना है। राममन्दिर के पास मेडता सिटी की घटना है। जावेद ने सैफ अली के साथ मारपीट की जावेद के साथ फिरोज और मोनू और बंटी भी शामिल थे। मारपीट क्यो की थी, पता नहीं लेकिन उसने, पवन और रमेश ने बीच बचाव किया था और सैफ अली को उनसे छुडाया था। लोहे के रोड तथा धारधार चीजों से मारपीट की। मुकदमा सैफ अली ने किया 25 तारीख को पुलिस ने घटनास्थल का मौका देखा था। उसका गवाह के रूप में हस्ताक्षर कराए। नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि उसका घर घटनास्थल से

आधा एक कि.मी. दूर हाफिज साहब की दरगाह के पास आया हुआ है। नक्शा मौके पर कौनसा स्थान मार्क से अंकित किया है, उसे पता नहीं। वह पाईप फिटिंग का कार्य करता है तथा वह सुबह जाता है व शाम को सात बजे आ जाता है। वह उस दिन रोड़ पर लीकेज का कार्य कर रहा था, जो अग्रवाल कॉलेज जाने वाली रोड़ पर काम करता था। यह बात सही है कि जिम व जिम के सामने वाली रोड़ सिविल लाईन है। घटनास्थल से पवन खटीक का मकान 100–200 मीटर की दूरी पर है। मोनू को वह जानता है, जो उसके पापा के साथ काम करता था। झगड़ा राम मंदिर व रमेश के घर के बीच हुआ था।

13– साक्षी पीडब्ल्यू–2 सैफ अली जिसने शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 24.02.2022 को शाम को करीब 7 बजे की बात है। वह दूध की सप्लाई देने के लिए जा रहा था। राम मंदिर के पास रमेश दायम के घर पर दूध दे रहा था तब उसे जावेद, मोनू, फिरोज ने घेर लिया। बंटी ने घेर कर उसके साथ मारपीट की जावेद ने चाकू से उसके हाथ पर चाकू से वार किया और फिरोज ने उसके साथ मारपीट कर उसके पर्स से 1000 रूपये निकाल लिये। बंटी ने उसके सिर पर रोड की मारी। फिर रमेश, सहाबुदीन और पवन तथा 2,3 अन्य व्यक्तियों ने बीच बचाव कर छुडाया। वरना यह सब उसके साथ मारपीट करते। जावेद के चाचा के दूध का काम है तथा उसका घटना स्थल के पास जिम है। जावेद उसकी सप्लाई बन्द कराना चाहता था, इसलिए उसके साथ जिम कर रहे लडकों को साथ लाकर उसके साथ मारपीट की जावेद के डर से उसने अब सप्लाई भी बन्द कर दी। जावेद मारपीट करता है तथा अब भी डराता धमकाता है। उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एफआईआर प्रदर्श पी 03 है, जिस पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी चोटों का डाक्टरी मुआयना कराया था। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्वीकार किय कि उसके व जावेद के दूध का कारोबार है, जो उनका पुश्तैनी धंधा है। वह दसवीं तक पढ़ा लिखा है। झगड़ा राम मंदिर के पास हुआ था। दिशा का ज्ञान नहीं है। अजखुद कहा मंदिर के पास रमेश दायमा के घर के सामने झगड़ा हुआ था। घटनास्थल से 2–3 घर छोड़कर पवन का घर है। नक्शा मौके पर एफ स्थल पर रमेश का मकान है। वह नक्शा मौका में नहीं समझता है। वह नहीं बता सकता कि पुलिस ने नक्शा मौकका में किस स्थान से क्या मार्क अंकित किया। उस रोज पहले राम मंदिर के आगे झगड़ा हुआ था, फिर रमेश के घर के आगे

झगड़ा हुआ। अजखुद कहा कि उसके साथ मारपीट हुई थी। उसके 2 चोटें आई थी। एक सिर पर व एक हाथ पर। हाथ पर लगी चोट धारदार हथियार से आयी थी व सिर पर एक रॉड की चोट थी। यह सही है कि घटना के वक्त रमेश वहां हाजिर था। यह बात सही है कि सहाबुद्दीन हाजी साहब की दरगाह के पास रहता है। यह भी स्वीकार किया कि हाजी साहब की दरगाह घटनास्थल से आधा एक कि.मी. दूर है। वह बंटी को पहले से नहीं जानता था। अजखुद कहा कि जावेद जिम करने आता था, इसलिए जानता था। जिम में आने के कारण जानता था। यह कहना सही है कि मुल्जिमान की व उसकी जिम के जान पहचान नहीं हुई थी। यह कहना सही है कि मोनू व बंटी को वह अपने साथ घटना घटित होने के बाद जानने लगा था। वह आज उनको देखकर जान सकता है, पहचान सकता है। राम मंदिर के पास जो घटना हुई वो 2 मिनट चली थी। फिर वह भाग गया था। उन्होंने उसका पीछा किया था। फिर दुबारा घटना रमेश के घर के सामने हुई। यह बात सही है कि दोनों घटनास्थल आबादी स्थल है, जहां पर लोगों की आवाजाही रहती है। मौके पर 8–10 लोग बचाव करने आये थे। 8–10 लोगों में सभी का नाम नहीं बता सकता। पवन, सहाबुद्दीन व रमेश को ही जानता है, जो बचाने आये थे। यह कहना सही है कि सिविल लाईन के सामने झगडा नहीं हुआ था। झगड़ा राम मंदिर व रमेश के घर के आगे हुआ था। उसके पास मोटरसाइकिल थी, मुल्जिमान के पास भी मोटरसाईकिल थी। फिर वह जब रमेश के मकान की तरफ भागा तब उन्होंने पैदल ही पीछा किया था। वह एस.डी.एम. क्वार्टर से रमेश के घर पर होते हुए न्यायालय में बन रही नई बिल्डिंग में दूध की सप्लाई के लिए आया था।

14– साक्षी पीडब्ल्यू–3 डॉ. ललित चौधरी ने शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 24.02.2022 को वह सीएचसी मेडता सिटी में एमओ के पद पर कार्यरत था। उस रोज पुलिस थाना मेडता सिटी के प्रतिवेदन पर मजरूफ मो. सैफ अली के शरीर पर आयी चोटों का मुआयना कर आईआर प्रदर्श पी–4 बनायी थी, जिस पर ए से बी मजरूब का पहचान चिन्ह व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मजरूब के निम्न चोटें थी– चोट सं. 1 मजरूब के बायं हाथ के अंगूठे के आधार पर 20 एमएम गुणा 10 एमएम आकार की खरोंच जिस पर ताजा खुन बह रहा था। चोट सं. 2 मजरूब के ललाट के दाहिनी और तीन गुणा तीन सेमी. आकार की नीलगू मय चोट। उक्त दोनों चोटे साधारण प्रकृति की होकर कुन्दाला कारित थी। तहरीर कार्बन प्रति प्रदर्श पी–5 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर मय पृष्ठांकन अंकित है। प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि यह

कहना सही है कि उक्त चोट धारदार हथियार से कारित नहीं है। साधारण प्रकृति की है। दायें हाथ की चोट खरोंचनुमा चोट थी। चोट संख्या 2 सिर पर थी। ललाट पर थी। यह कहना सही है कि चोट संख्या 2 में अवधि का अंकन नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त दोनों चोटें मोटरसाइकिल पर गिरने/पड़ने पर आना संभव है तथा स्वयं की कारित की जा सकती है।

15– साक्षी पीडब्ल्यू–4 रमेशचंद ने शपथ पर कथन किया है कि आज से करीब दो साल पहले पीएस मेडता सिटी ने उसके घर के पास ही उसके छोटे भाई किशोर कुमार का घर है। उसके सामने पुलिस ने नक्शा मौका देखा था। रात को सैफअली के साथ हुई मारपीट का मौका देखा था। उक्त मौके की कार्यवाही दोपहर करीब एक बजे की थी व मौके पर ही कागज बना कर उसके हस्ताक्षर करवाये थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि सैफ अली के पिता मेहमुद अली उसके अच्छे मित्र है। वह मौतबीर मेहमुद की वजह से बना हूं। यह कहना सही है कि नक्शा मौका में कौनसे मार्क से अंकित है, पता नहीं है।

16– साक्षी पीडब्ल्यू–5 पवन पुत्र रामुराम ने शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 24.09.2020 को शाम को करीब सात–सवा सात बने की घटना है। रमेश पुत्र सुगनचंद के घर के सामने की घटना है। सैफ अली के साथ जावेद, फिरोज, मनीष रास्ता रोक कर मारपीट कर रहे थे। उसने व सहाबुद्दीन ने बीच–बचाव कर छुड़ाया था। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने स्वीकार किया कि वह रमेश का भानजा है। यह सही है कि रमेश के कहने से हस्ताक्षर किये थे। यह कहना सही है कि पुलिस ने नक्शा मौका में क्या दर्शित किया है, पता नहीं है। यह कहना सही है कि रमेश के घर के सामने घटना नहीं घटी थी। अजखुद कहा घटना पास में घटी थी। पुलिस ने उससे पुछताछ की थी। यह बात सही है कि उसके मामा रमेश जी व सैफ अली के पिता मेहमुद घनिष्ठ मित्र है और इनकी वजह से वह गवाह बना था। यह बात सही है कि फिरोज, मनीष, जावेद को नहीं जानता है। यह बात सही है कि जावेद, फिरोज, मनीष से कभी उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, ना ही उसने इनको देखा है, ना ही आज दिन तक देखा है। वह सैफ अली को जानता है, वह उसके मामा के दोस्त का लड़का है।

17– साक्षी पीडब्ल्यू–6 इन्द्रसिंह जिसने शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 24.02.2022 को वह पुलिस थाना मेडतासिटी में एच सी के पद पर कार्यरत था। उस रोज एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 थानाधिकारी श्री राजवीरसिह के समक्ष पेश हुई थी, जिस पर सी से

डी कार्यवाही पुलिस व इ से एफ थानाधिकारी के हस्ताक्षर है, जिसके आधार पर एफआई आर प्रदर्श पी 3 दर्ज हुई थी जिस पर इ से एफ थानाधिकारी के हस्ताक्षर है। तफतीस उसे सुपुर्द हुई थी। दौराने तफतीस मुल्जिमान के खिलाफ किये गये 107 / 151 सीआरपीसी की पत्रावली की प्रमाणित प्रति शमिल पत्रावली की गइ जो कि प्रदर्श पी 6 है जो पृष्ठ 1 से लगायत 4 तक है। घटना स्थल का मौका मुआयना कर नक्षा मौका प्रदर्श पी 1 बनाया गया था, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 6 में भी तथा उसके साथ संलग्न पृष्ठों पर भी उसके हस्ताक्षर है। मजरूब का मेडिकल मुआयना कराया जाकर मुआयना रिपोर्ट शामिल की गई, जिसकी तहरीर प्रदर्श पी 5 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। गवाहों के बयान उनके बताये अनुसार दर्ज किये गये। बाद अनुसंधान पत्रावली थानाधिकारी श्री राजवीर को दी थी, जिन्होंने उसके अनुसंधान के आधार पर चालान न्यायालय हाजा में पेश किया था। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि झगडा राममन्दिर के आसपास नहीं हुआ था। यह भी सही है कि झगडा जिम पर नहीं हुआ था। यह सही है कि उसने विमल ब्राह्मण, रामसिंह, देवजी, बुद्धसिंह के बयान लेखबद्ध नहीं किये और ना ही कोई तफ्तीस की। रमेश खटीक व परिवादी सेफ अली के पिता धर्म का संबंध बना रखा हो तो उसे पता नही। मौके पर से कोई कब्जा वस्तु नही ली गई और ना ही घटना के कोई आलामात नजर आ रहे थे। प्रदर्श पी 1 का हिस्सा जी से एच गलत लिखा हुआ है। यह कहना गलत है कि उसने गलत तफ्तीस की हो। यह कहना गलत है कि उसने गवाहों के बयान उनके कथनानुसार नहीं लिखे हो। यह कहना गलत है कि उसने गलत अनुसंधान किया हो।

18– पत्रावली का पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में न्यायालय का विवेचन व निष्कर्ष निम्न प्रकार है कि घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–02 परिवादी मो. सैफ अली के द्वारा दर्ज करवायी गई है, जिसमें उसने बताया कि दिनांक 24.02.2022 को शाम करीब 07:25 बजे वह दूध बेचने हेतु अपनी मोटरसाईकिल से जा रहा था। शिव लाईन राम मंदिर के सामने मुल्जिम जाविद मोयल, फिरोज, राहुल उर्फ बंटी व मनीष उर्फ मोनु निवासी मेडतासिटी ने उसका रास्ता रोककर मारपीट की। जाविद ने चाकू से प्रार्थी के बाएं हाथ पर वार किया, जिससे वह घायल हो गया। राहुल ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर चोट पहुंचाई, जिससे खून बहने लगा। इसी दौरान फिरोज ने उसके पर्स से

1000 रुपये निकाल लिये तथा अन्य मुल्जिमों ने गाली–गलौच कर मारपीट जारी रखी। मौके पर शाहाबुदी गोरी व पवन कुमार पहुंचे और बीच–बचाव कर प्रार्थी को छुड़ाया, अन्यथा मुल्जिम उसे जान से मार देते। तहरीरी रिपोर्ट के समर्थन में मजरूब/प्रार्थी मजरूब सैफ अली (PW–2) के कथनों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उसने घटना दिनांक 24.02.2022 को शाम लगभग 7 बजे की बताई है, जब वह दूध सप्लाई हेतु जा रहा था। उसके अनुसार अभियुक्तगण जावेद, फिरोज, मोनू एवं बंटी ने उसे घेरकर मारपीट की, जिसमें जावेद द्वारा चाकू से हाथ पर वार करना, बंटी द्वारा लोहे की रॉड से सिर पर चोट पहुंचाना तथा फिरोज द्वारा उसके पर्स से ₹1000 निकाल लेना शामिल है। मजरूब ने घटना को दो स्थानों राम मंदिर के पास तथा रमेश के घर के सामने घटित होना बताया, जिससे घटना की निरंतरता सिद्ध होती है। प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य अवश्य सामने आया कि मजरूब का अभियुक्त जावेद के साथ पूर्व परिचय था तथा दोनों का दूध का व्यवसाय था, जिससे आपसी प्रतिस्पर्धा अथवा रंजिश की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। तथापि इन तथ्यों के बावजूद मजरूब के कथनों में घटना का मूल स्वरूप, समय, स्थान एवं अभियुक्तों की संलिप्तता के संबंध में कोई गंभीर विरोधाभास नहीं पाया जाता, जिससे उसका साक्ष्य समग्र रूप से विश्वसनीय प्रतीत होता है।

आगे प्रत्यक्षदर्शी एवं बीच–बचाव करने वाले गवाहों में PW–1 सहाबुद्दीन, PW–4 रमेशचंद एवं PW–5 पवन के कथनों का विश्लेषण करने पर यह तथ्य उभरकर आता है कि सहाबुद्दीन एवं पवन ने मजरूब के साथ मारपीट होना तथा स्वयं द्वारा बीच–बचाव कर उसे छुड़ाना स्वीकार किया है, जबकि रमेशचंद ने घटनास्थल पर पुलिस द्वारा नक्शा मौका तैयार किये जाने की पुष्टि की है। यद्यपि इन गवाहों के कथनों में घटना स्थल एवं अन्य तथ्यों के संबंध में कुछ विरोधाभास हैं, तथापि सभी गवाह इस मूल तथ्य पर एकमत हैं कि मजरूब के साथ मारपीट हुई थी और उसे बचाया गया था, जिससे अभियोजन की कहानी को पर्याप्त समर्थन प्राप्त होता है।

चिकित्सकीय साक्ष्य के रूप में PW–3 डॉ. ललित चौधरी ने मजरूब के शरीर पर दो साधारण प्रकृति की चोटें होना प्रमाणित किया है, जिन्हें कुंद वस्तु से कारित बताया गया है तथा चिकित्सकीय साक्ष्य से भी वक्ट घटना मजरूब/परिवादी मोहम्मद सेफ अली के चोटें आना प्रकट होता है।

आगे अनुसंधान अधिकारी PW–6 इन्द्रसिंह के कथनों से यह सिद्ध होता है कि विधिवत एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान किया गया, किन्तु प्रतिपरीक्षा में अनुसंधान में कुछ कमियां, जैसे महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज न करना एवं कोई वस्तु जप्त न करना, सामने आई हैं, परंतु उपरोक्त साक्षी के कथनों से अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट नहीं की गई हो एवं उससे रुपये नहीं छीने गए हो, ऐसे कोई कथन उपरोक्त गवाह ने नहीं किये हैं।

अतः समस्त साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मजरूब सैफ अली के साथ दिनांक 24.02.2022 को मारपीट की घटना घटित हुई थी तथा इस घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता प्रमाणित होती है। यद्यपि धारदार हथियार के प्रयोग, चोटों के स्वरूप तथा घटनास्थल के संबंध में कुछ असंगतियां एवं विरोधाभास हैं, तथापि ये इतने गंभीर नहीं हैं कि अभियोजन की मूल कहानी को संदेहास्पद बना दें। मजरूब के सुसंगत कथन, गवाहों द्वारा घटना का समर्थन तथा चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा चोटों का प्रमाणित होना– ये सभी तथ्य एक–दूसरे के पूरक हैं और सामूहिक रूप से अभियोजन के मामले को ठोस बनाते हैं। अतः इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार, अभियुक्तगण द्वारा मजरूब के साथ मारपीट की गई, जिससे उसे चोटें आईं, और इस प्रकार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप संदेह से परे साबित होते हैं। परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

<u>आदेश</u>

19– परिणामतः अभियुक्तगण 1. जावेद पुत्र रोशन अली, उम्र 25 साल, निवासी कादरी कॉलोनी, मेड़ता सिटी, पीएस मेड़ता सिटी, जिला नागौर, 2.फिरोज पुत्र रोशन अली, उम्र 37 साल, निवासी कादरी कॉलोनी, मेड़ता सिटी, पीएस मेड़ता सिटी, जिला नागौर, 3. राहुल उर्फ बंटी वैष्णव पुत्र जगदीश, उम्र 21 साल, निवासी विष्णु सागर, मेड़ता शहर,

पीएस मेड़ता शहर जिला नागौर, 4. मनीष उर्फ मोनु पुत्र धन्नाराम, उम्र 22 साल, निवासी नवल सागर, मेड़ता शहर, पीएस मेड़ता शहर, जिला नागौर को अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(सुनीता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मेड़ता

20. **सजा का बिंदू –** सजा के बिंदू पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्तगण काफी समय से अन्वीक्षा भुगत रहे है। उनके प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए परिवीक्षा विधि का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान अभियोजन अधिकारी ने उपरोक्त तर्कों का विरोध कर अभियुक्तगण को कठोर दंड दिये जाने का निवेदन किया।

21. उभय पक्ष द्वारा दिये गये तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभियुक्तगण काफी दिनों से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अतः अभियुक्तगण को तुरंत दण्डित नहीं किया जाकर उन्हें परीविक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>दण्डादेश</u>

22. परिणामतः अभियुक्तगण 1. जावेद पुत्र रोशन अली, उम्र 25 साल, निवासी कादरी कॉलोनी, मेड़ता सिटी, पीएस मेड़ता सिटी, जिला नागौर, 2.फिरोज पुत्र रोशन अली, उम्र 37 साल,निवासी कादरी कॉलोनी, मेड़ता सिटी, पीएस मेड़ता सिटी, जिला नागौर, 3. राहुल उर्फ बंटी वैष्णव पुत्र जगदीश, उम्र 21 साल, निवासी विष्णु सागर, मेड़ता शहर, पीएस मेड़ता शहर जिला नागौर, 4. मनीष उर्फ मोनु पुत्र धन्नाराम, उम्र 22 साल, निवासी नवल सागर, मेड़ता शहर, पीएस मेड़ता शहर, जिला नागौर को धारा 323, 341 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अभियुक्तगण को धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम इस शर्त के साथ दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्तगण 10,000/–, 10,000/– रूपये की जमानत एवं इतनी ही राशि का मुचलका

न्यायालय की संतुष्टि व इस आशय का पेश कर तस्दीक करा देवें की वह आगामी 01 वर्ष तक अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर दण्ड भुगतने के लिए उपस्थित रहेगा तथा सदाचरण बनाये रखेगा। इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्तगण परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत 300/– 300/– रुपये कुल 1200/– रुपये जिसमें से 800/– आठ सौ रूपये मजरूब/आहत सैफअली को अदा करने एवं 400/– रुपये बतौर अभियोजन व्यय अधिरोपित किये जाते हैं। धारा 437–ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु अभियुक्तगण 10,000/–, 10,000/– रूपये का मुचलका व इतनी ही राशि की एक प्रतिभूति पेश करेगा, जो आदेश की दिनांक से छः माह तक प्रवृत्त/प्रभावी रहेगा।

23. अभियुक्तगण के पूर्व में उपस्थिति बाबत् लिए गए जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(सुनीता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेड़ता

24– निर्णय आज दिनांक 21.05.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(सुनीता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेड़ता

परिशिष्ट

गवाहान की सूची

(क) अभियोजन		
क्रमांक	गवाह का नाम	प्रकृति
पीडब्लयू–1	सहाबुद्दीन	गवाह व मौतबीर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका
पीडब्लयू–2	सैफ अली	मुस्तगीस
पीडब्लयू–3	डॉ. ललित चौधरी	मजरूब की आई.आर. देना
पीडब्लयू–4	रमेशचंद	मौतबीर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका
पीडब्लयू–5	पवन	गवाह
पीडब्लयू–6	इन्द्रसिंह	हालात तफ्तीशी

(ख) प्रतिरक्षा			
क्रमांक	गवाह का नाम	प्रकृति	गवाह द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज
–	–	–	
(ग) न्यायालय			
–	–	–	

प्रदर्श सूची

(क) अभियोजन			
क्रमांक	प्रदर्श संख्या	दस्तावेज का नाम	प्रदर्शित करवाने वाले/साबित करने वाले/हस्ताक्षर करने वाले गवाह का नाम
1	प्रदर्श पी–1	नक्शा मौका व हालात मौका	PW–1 सहाबुद्दीन, PW–4 रमेशचंद, PW–6 इन्द्रसिंह
2	प्रदर्श पी–2	तहरीरी रिपोर्ट	PW–2 सैफ अली, PW–6 इन्द्रसिंह
3	प्रदर्श पी–3	प्रथम सूचना रिपोर्ट	PW–2 सैफ अली, PW–6 इन्द्रसिंह
4	प्रदर्श पी–4	चोट प्रतिवेदन मुस्तगीस	PW–3 डॉ. ललित चौधरी
5	प्रदर्श पी–5	आई.आर. बाबत पत्र	PW–3 डॉ. ललित चौधरी, PW–6 इन्द्रसिंह
6	प्रदर्श पी–6	इस्तगासा	PW–6 इन्द्रसिंह

प्रतिरक्षा			
क्रमांक	प्रदर्श संख्या	दस्तावेज का नाम	प्रदर्शित करवाने वाले/साबित करने वाले/हस्ताक्षर करने वाले गवाह का नाम
1	प्रदर्श डी–1	पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी मोहम्मद सेफ अली	पीडब्ल्यू–2 सैफ अली
(ग) न्यायालय			
–	–	–	